

आदिवासी परिवारों की महिलाओं की आर्थिक-सामाजिक भूमिका

डॉ. राकेश कुमार चौहान*

* सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) सरदार वल्लभ भाई पटेल शासकीय महाविद्यालय, कुशी (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – मानव संसाधन का आधा हिस्सा महिलाएँ हैं और वे इस प्रकार देश की आर्थिक सम्पदा के आधे हिस्से की मालिक हैं। यदि मानव संसाधन के इस आधे हिस्से की उपेक्षा की जाए तो देश की प्रगति में रुकावट अवश्यभावी होगी। भारत सरकार ने विकास गतिविधियों में महिलाओं की भूमिका को पहचाना है और उनके लिए कई सकारात्मक कदम उठाये हैं ताकि उन्हें विकास की मुख्यधारा में लाया जा सके। सरकार के इन कदमों से महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक दशाओं में प्रत्यक्ष बदलाव दिखाई पड़ने लगा है।

शब्द कुंजी – महिला, मानव संसाधन, आदिवासी महिला।

प्रस्तावना – भारत सरकार ने विकास गतिविधियों में महिलाओं की भूमिका को पहचाना है और उनके लिए कई सकारात्मक कदम उठाये हैं ताकि उन्हें विकास की मुख्यधारा में लाया जा सके। सरकार के इन कदमों से महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक दशाओं में प्रत्यक्ष बदलाव दिखाई पड़ने लगा है। वर्ष 1981 में महिलाओं की कार्य सहभागिता जहाँ 19.7 प्रतिशत थी, जो वर्ष 2001 में बढ़कर 25.7 प्रतिशत हो गई है।¹ जब बात आदिवासी वर्ग की होती है, तो महिलाओं की आर्थिक स्थिति का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस वर्ग के ज्यादातर परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इस कारण से परिवार के पालन-पोषण में महिलाओं द्वारा भी आर्थिक कार्य करके महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है।

शोध विषय का चयन – शोध कार्य के लिए मध्यप्रदेश के जनजाति बाहुल्य झाबुआ जिले का चयन किया गया है। झाबुआ जिले की आदिवासी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में 'आदिवासी परिवारों की महिलाओं की आर्थिक-सामाजिक भूमिका' विषय एक महत्वपूर्ण अध्ययन है। ग्रामीण आदिवासी परिवारों की आय एवं रोजगार निर्धारण में महिलाओं का क्या एवं किस प्रकार का योगदान है ? इस महत्वपूर्ण प्रश्न के समाधान एवं विभिन्न संबंधित बिन्दुओं का अध्ययन करने के लिए इस शोध समस्या का चयन किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य:

1. आदिवासी महिलाओं की आर्थिक-सामाजिक स्थिति का विश्लेषण करना।
2. रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं के समक्ष उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन करना।

अध्ययन का महत्व – इस शोध अध्ययन के माध्यम से आदिवासी महिलाओं की आर्थिक-सामाजिक स्थिति की जानकारी प्राप्त हो सकेगी। इसके साथ ही रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं के समक्ष उत्पन्न समस्याएँ सामने आ सकेगी, जो आदिवासी महिलाओं विकास की नीति निर्धारकों के लिए पथदर्शक की भूमिका निभाएगा। यह शोध नवीन शोधकर्ताओं के लिए काफी उपयोगी साबित होगा।

अध्ययन का क्षेत्र – शोध कार्य के लिए मध्यप्रदेश के जनजाति बाहुल्य झाबुआ जिले का चयन किया गया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झाबुआ जिले की कुल जनसंख्या 1,025,048 थी।

निर्दर्शन प्रक्रिया

1. अध्ययन का समग्र – इस शोध कार्य के समग्र के रूप में अध्ययन हेतु चयनित झाबुआ जिले की समस्त आदिवासी महिलाओं को शामिल किया गया है।

2. अध्ययन की इकाई – अध्ययन की इकाई के रूप में झाबुआ जिले की समस्त आदिवासी महिलाओं में से कुल 360 महिला उत्तरदाताओं का चयन द्वै निदर्शन पद्धति से किया गया है।

उत्तरदाताओं का चयन – शोध कार्य की पूर्ति के लिए उत्तरदाताओं का चयन शोध के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर **सोद्देश्य प्रतिचयन विधि** से किया गया है। झाबुआ जिले से कुल 360 आदिवासी महिलाओं का चयन **सोद्देश्य प्रतिचयन विधि** से किया गया है।

आँकड़ों का संकलन – इस शोध की पूर्ति के लिए प्राथमिक आँकड़ों एवं द्वितीयक आँकड़ों का संकलन किया गया है।

आँकड़ों के संकलन के स्रोत – अध्ययन क्षेत्र की आदिवासी महिला उत्तरदाताओं से संकलित किए गए प्राथमिक एवं द्वितीयक आँकड़ों का वर्गीकरण, श्रेणीकरण एवं सारणीकरण के बाद में तथ्यों का विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाले गए, जिसके आधार पर शोध कार्य की पूर्ति की गई है।

अध्ययन के निष्कर्ष:

1. महिलाओं द्वारा आर्थिक कार्य करने के संबंध में प्राप्त तथ्यों के अनुसार लगभग 89 प्रतिशत आदिवासी परिवारों की वयस्क महिलाएँ कार्यशील हैं तथा शेष परिवारों की महिलाएँ या तो कार्यशील नहीं हैं या वयस्क नहीं हैं। इस प्रकार से स्पष्ट है कि अधिकतर आदिवासी परिवारों की महिलाएँ आर्थिक कार्य करके अपने परिवार के भरण-पोषण में योगदान देती हैं। जिससे उनके परिवार के पालन-पोषण में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। इन परिस्थितियों में आदिवासी परिवारों में महिलाओं की भूमिका का महत्व बढ़ जाता है। अतः आर्थिक दृष्टि से परिवार के भरण-पोषण में महिलाओं की

भूमिका महत्वपूर्ण है।

2. महिलाओं के आर्थिक कार्य के विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में प्राप्त समकों के अनुसार लगभग 91 प्रतिशत महिलाएँ कृषि-मजदूरी करके अपने परिवार के पालन पोषण में अपना आर्थिक योगदान देती हैं तथा शेष महिलाएँ अन्य कार्यों जैसे निर्माण कार्य, सब्जी बेचना आदि माध्यम से अपना आर्थिक योगदान देती हैं। इस विश्लेषण से स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्र में कृषि कार्य में मजदूरी की उपलब्धता तुलनात्मक रूप से अधिक होती है और इसी कारण से ग्रामीण क्षेत्र की अधिकतर महिलाएँ कृषि क्षेत्र में मजदूरी करती हैं। लेकिन दूसरी ओर कुछ महिलाएँ अन्य कार्य जैसे निर्माण कार्य, सब्जी बेचना आदि के द्वारा परिवार के पालन-पोषण में योगदान देती हैं। ज्ञातव्य है कि यदि महिलाओं को अपने गाँव में काम नहीं मिलता है या फिर अपर्याप्त काम मिलता है तो इस स्थिति में वे अपने गाँव के अतिरिक्त दूसरे गाँव में या शहर में भी काम करने जाती हैं।

3. विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक कार्य करने वाली महिलाओं को प्रतिदिन प्राप्त होने वाली मजदूरी की राशि के संबंध में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार कृषि मजदूरी में संलग्न लगभग 82 प्रतिशत महिलाओं को प्रतिदिन रु. 25-50 मजदूरी की राशि प्राप्त होती है तथा लगभग 17 प्रतिशत महिलाएँ रु. 50-75 प्रतिदिन प्राप्त करती हैं। वहीं दूसरी ओर जो महिलाएँ अन्य कार्यों में संलग्न हैं, उनमें से लगभग 84 प्रतिशत महिलाओं को भी प्रतिदिन रु. 25-50 मजदूरी की राशि प्राप्त होती है। अन्य कार्यों में संलग्न शेष महिलाओं को प्रतिदिन रु. 50-75 मजदूरी की राशि मिलती है। अतः स्पष्ट है कि आर्थिक कार्य करने वाली अधिकांश महिलाओं को मंहगाई के इस दौर में भी बहुत ही कम मजदूरी दी जाती है, परन्तु परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उन्हें विवशता में इतनी कम मजदूरी पर भी काम करना पड़ता है और आवश्यकता होने पर उन्हें अपने गाँव के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी काम करने जाना पड़ता है।

4. विभिन्न व्यावसायिक-संरचना वाले आदिवासी परिवारों की कार्यशील महिलाओं के संबंध में प्राप्त तथ्यों के अनुसार कृषि करने वाले आदिवासी परिवारों की लगभग 94 प्रतिशत महिलाएँ कृषि मजदूरी तथा शेष महिलाएँ अन्य क्षेत्र में कार्य करती हैं। इसी प्रकार से विभिन्न व्यवसाय एवं मजदूरी करने वाले परिवारों की भी अधिकतर महिलाएँ कृषि मजदूरी ही करती हैं। लेकिन नौकरी करने वाले परिवार की महिलाएँ कृषि मजदूरी की बजाय अन्य कार्य करती हैं। इस विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि आदिवासियों की व्यावसायिक-संरचना का रूप चाहे जो भी हो, परन्तु फिर भी उनके परिवार की अधिकतर महिलाएँ कृषि मजदूरी के द्वारा ही परिवार के पालन-पोषण में योगदान देती हैं। इसके अतिरिक्त इन्हीं व्यावसायिक गतिविधियों वाले परिवारों की महिलाएँ अन्य कार्य क्षेत्र में भी संलग्न हैं।

5. महिलाओं को आर्थिक कार्य करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कारक उन्हें प्रभावित करते हैं। इस संबंध में प्राप्त तथ्यों के अनुसार दोनों तहसीलों की अधिकतर महिलाएँ अपने परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति होने के कारण आर्थिक कार्य करती हैं। लेकिन दूसरी ओर कुछ महिलाएँ अन्य कारकों जैसे मंहगाई बढ़ना, आय कम होना आदि के परिणामस्वरूप भी आर्थिक

कार्य करती हैं। परिवार का बड़ा आकार होना भी इस स्थिति के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। स्पष्ट है कि अनेक ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं, जो महिलाओं को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि महिलाएँ इन कारकों की उपेक्षा करके कार्य नहीं करती हैं, तो उनके परिवार को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अतः इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही महिलाएँ आर्थिक कार्य करती हैं।

6. रोजगार के विभिन्न क्षेत्रों में संलग्न महिलाओं को समस्याओं का सामना करना पड़ता है या नहीं। इस संबंध में प्राप्त तथ्यों के अनुसार आदिवासी परिवारों की लगभग 82 प्रतिशत महिलाओं को उनके रोजगार में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर लगभग 18 प्रतिशत महिलाओं को रोजगार में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि विभिन्न कार्यों में संलग्न महिलाओं को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, परन्तु फिर भी कमजोर पारिवारिक स्थिति, बढ़ती मंहगाई एवं अन्य कारणों से महिलाओं को आर्थिक कार्य करना पड़ता है। इस आधार पर आदिवासियों की आर्थिक स्थिति का कमजोर परिदृश्य सामने आता है कि अनेक समस्याओं के बावजूद भी उन्हें आर्थिक गतिविधियों में लगना पड़ता है।

7. महिलाओं को अपने रोजगार के क्षेत्र में कौन-कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है ? इस संबंध में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार लगभग 71 प्रतिशत महिलाओं को रोजगार में अन्य समस्याओं जैसे लगातार एवं समय पर काम न मिलना आदि का सामना करना पड़ता है। लगभग 23 प्रतिशत महिलाओं को जो मजदूरी दी जाती है, वह अपर्याप्त होती है। वहीं लगभग 6 प्रतिशत महिलाओं के समक्ष सबसे बड़ी समस्या यह है कि जहाँ पर वे कार्य करती हैं, वहाँ पर निर्धारित समय से अधिक काम लिया जाता है। स्पष्ट है कि जो महिलाएँ विभिन्न कार्यों में संलग्न हैं, उनमें से सर्वाधिक महिलाएँ समय पर काम उपलब्ध नहीं होने के कारण परेशान होती हैं और साथ ही उन्हें लगातार कार्य भी नहीं मिलता है। इस स्थिति में उन्हें कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर मजदूरी की पर्याप्त राशि न मिलने तथा निर्धारित समय से अधिक काम लेना भी इनकी समस्या है। इस प्रकार आदिवासी महिलाओं को अपने कार्यक्षेत्र में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

उपसंहार – अध्ययन क्षेत्र से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर प्राप्त निष्कर्षों से यह स्पष्ट है कि आदिवासी महिलाओं को अपने कार्य क्षेत्र में अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी वे अपने परिवार के भरण पोषण के लिए विभिन्न आर्थिक कार्यों को करती हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सिंह, श्यामधर (1982), वैज्ञानिक सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण के मूल तत्व, कमल प्रकाशन, इन्दौर (म.प्र.)
2. सिंह, दीपा जैन (2007) भारत में महिलाएँ-सांख्यिकीय प्रोफाइल, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल संस्थान, नई दिल्ली, पृ. 1
3. आहूजा, राम (2005), भारतीय समाज, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर एवं नई दिल्ली. पृ. 122
